

1. गाँव का नाम तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	2. संपत्ति का नाम		3. वर्तमान मूल्य	4. यदि स्वतंत्र नाम पर नहीं तो कलाने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	5. संपत्ति किस प्रकार अधिगत कि या कृषि, पशु, वधक, विरासत, भूत आदि किसी प्रकार से तथा अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	6. संपत्ति से वार्षिक आय	7. अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
30 ^{वाँ} वार्ड 45	✓	H.I. 6 13/9 L.P. आगति नगर	30 लाख	श्रीमती अंजलि आगति (माता जी)	30 ^{वाँ} निकास प्राधिकरण	NIL	

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
- 3- इसमें अल्पकालीन पट्टे की सम्मिलित है।

हस्ताक्षर.....
 पदनाम..... कार्यपालन यंत्री
 नाम..... पीकूप आगति

टिप्पणी : यह शासकीय सौदा (आधरण) नियम, 1948 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सौदा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सदा से पहली निर्दिष्ट की अवधि और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के पर्याप्त मत मांगना-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह संपत्ति की क्या अवधि द्वारा अधिगत अवधि उसे विरासत में मिली या उसका अपन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित है या नहीं पर उसका नाम सार्वजनिक अर्थों पर उचित रूप से उल्लेख किया जाए।

मो. नं.....